निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गोविंद कुमार एवं श्री अंशुमनअग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2018 से 12.04.2018 तक श्री हिमांशु मणि ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 05.09.2017 से 11.09.2017 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित लेखापरीक्षा में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **वन प्रभाग के आरक्षित वन प्रभाग का प्रबन्धन।**

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	373.35
2016-17	398.03
2017-18	498.93

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना (` लाख में)**		**गैर स्थापना (` लाख में)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2015-16	--	--	853.85	845.34	240.48	240.45
2016-17	--	--	908.12	903.17	357.47	348.39
2017-18	--	--	992.34	986.82	325.69	313.47
कुल			2754.31	2735.33	923.64	902.31

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
2015-16	इन्टैसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट	0	7.95	7.95	0
2016-17	इन्टैसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट	0	17.09	17.09	0
2017-18	इन्टैसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट	0	8.47	8.47	0

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख वन संरक्षक → अपर प्रमुख वन संरक्षक → मुख्य वन संरक्षक → वन संरक्षक - प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- (राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये)

माह 08/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....------ ....

(प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

व्यय से संबंधित

भाग-2 अ

प्रस्तर-1 विभाग में स्वीक्रत पद के सापेक्ष अधिक तैनात पद के कारण अनियमित व्यय ₹62,64,037

कार्यालय प्रभागीय वनधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विभाग में वन क्षेत्राधिकारी के 04 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 05 पद तैनात है तथा इसी प्रकार विभाग में निसंवर्गीय वन क्षेत्राधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है परंतु उसके सापेक्ष 01 निसंवर्गीय वन क्षेत्राधिकारी तैनात है तथा इसी प्रकार वन दरोगा के 33 स्वीक्रत है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 45 पद तैनात है। इस प्रकार माह मार्च, 2018 की समाप्ति तक कुल ₹62,64,037 का वेतन अधिक तैनात कर्मचारियों पर व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि संबन्धित वन दरोगाओ की पदोन्नति यही पर हुई है तथा जिसके पश्चात इनकी पदस्थापना की कार्यवाही उच्च स्तर से नहीं हुई है। तथा अधिक वन क्षेत्राधिकारी की तैनाती की कार्यवाही उच्च स्तर से की गयी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिक तैनात वन दरोगाओ एव वन क्षेत्राधिकारी के स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए था।

अतः अनियमित व्यय ₹62,64,037 का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹31.62 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक/245:xxvii(7)/2012, दिनांक 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को ₹ 5.00लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ₹ 10.00लाख की सीमा तक वन संरक्षक लनिदेशक को अधिकार प्रदत्त है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्योंके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹3162296 की लागत के 05 वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों (सूचि संलग्न) को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि स्वीकृति हेतु वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को भेजा गया है। स्वीकृति आने पर प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹3162296 की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

संलग्नक

क्रमसंख्या	कार्यकानाम	धनराशि
1.	छारी कक्ष संख्या 7 अ के 10 हैक्टेयर में अग्रिम भूमि कार्य	527300
2.	घोल्डिकीकक्ष संख्या 1 के 10 हैक्टेयर में अग्रिम भूमि कार्य	527000
3.	कोटी कक्ष संख्या 4 के 15 हैक्टेयर वनीकरण क्षेत्र में अग्रिम भूमि कार्य	789400
4.	फलसारी कक्ष संख्या 4 ब के 15 हैक्टेयर में अग्रिम भूमि कार्य	791157
5.	फलसारी कक्ष संख्या 4 ब के 10 हैक्टेयर में अग्रिम भूमि कार्य	527439
	योग	₹3162296

भाग-02 ब

प्रस्तर-02वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹21.19 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी। नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वनधिकारी,टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी की लेखापरीक्षा के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि के अभिलेखों (वर्ष 2017-18) की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अंतर्गत पशु क्षति के 118 प्रकरण में ₹21.19 लाख का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जो कि प्रभाग द्वारा नहीं किया गया। प्रभाग के पास मार्च 2017 के अन्त में बैंक पासबुक के अनुसार ₹13,48,154 अवशेष था जिससे भुगतान की कार्यवाही की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।अतः भुगतान कार्यवाही शीघ्र कर के लेखपरीक्षा को सूचित किया जाना अपेक्षित रहेगा ताकि नियमवाली का मूल उद्देश्य पूरा हो सके।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 3: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 5.00 लाख।

विभाग में प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु 21 हेक्टेयर, का चयन किया गया था जिस पर ₹ 5.00 लाख का व्यय किया गया है। इन क्षेत्रों के द्वितीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा।अतः प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 5.00 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने अवगत कराया कि बजट उक्त मद में प्राप्त नहीं होने के कारण द्वितीय वर्ष लेंटाना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया गया।

अतः,₹ 5.00 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर-04 वन पंचायतों से ₹3.20 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत वन पंचायतों में वर्ष 2017-18 में विभिन्न पंचायतों को धनराशि ₹3,20,000 उपलब्ध कराई गयी थी। वन पंचायतों को दी गयी उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभाग को वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुए थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाये है तथा भविष्य में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएगे।।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

संलग्नक

क्रम संख्या	राजि	वन पंचायत की संख्या	वर्ष 2017-18 में दी गयी धनराशि (₹ में)
1	लम्बगाँव	28	112000
2	भिलंगना	13	52000
3	पौखाल	11	44000
4	टिहरी	26	104000
5	बालगंगा	2	8000
	कुल योग	**80**	**320000**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

भाग-2 ब

प्रस्तर- 5 जमानत जमा न कराया जाना ₹ 83300

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित जमा जमानत की धनराशि जमा नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित जमानत जमा की धनराशि जमा करा कर सूचित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः विभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	श्री ओम प्रकाश	निः संवर्गीय वन क्षेत्राधिकारी	10000	0	10000
2.	श्री भगवती प्रसाद सेमवाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
3.	श्री देवेन्द्र प्रसाद सेमवाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
4.	श्री वीरेन्द्र दत्त उनियाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
5.	श्री चन्दरु	वन दरोगा	10000	5000	5000
6.	श्री आनंद सिंह रावत	वन दरोगा	10000	4000	6000
7.	श्री ललित मोहन थपलियाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
8.	श्री रमेशदत्त कोठारी	वन दरोगा	10000	4000	6000
9.	श्री सुमेर चन्द रमोला	वन दरोगा	10000	4000	6000
10.	श्री सुरेन्द्र दत्त सेमवाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
11.	श्री रविन्द्र प्रसाद नैथानी	वन दरोगा	10000	5000	5000
12.	श्री मूर्तिराम उनियाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
13.	श्री मनीष बिजल्वाण	कनिष्ठ सहायक	500	-	500
14	श्री सोबत सिंह	वन रक्षक	4000	-	4000
15	श्री प्रदीप कुमार	वन रक्षक	4000	3000	1000
16	श्री विनोद लाल	वन रक्षक	4000	200	3800
योग					**रूपये** **83300/-**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-01 वर्ष 2018-19

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
05/2002-03	1,2,3	1,2,3	-
27/2003-04	1,2	1,2,3	-
31/2004-05	-	1,3	-
39/2005-06	1	1,2,3	-
67/2006-07	1	1,2,3	-
36/2013-14	-	1,2,3	1,2
213/2015-16	-	1,2,3,4	-
79/2017-18	-	1,2,3	1

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
36/2013-14	-	1,2
79/2017-18	-	4

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -कोई टिप्पणी नहीं

(2)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - कोई टिप्पणी नहीं

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

राजस्व एवें व्यय से सम्बन्धित अलग-अलग दर्शायेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	डा. कोको रोसे	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी